सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 94/14 निर्णय दिनांकः—29.06.2018

1. मनोहरी पत्नि स्व. श्री रजीराम जाति सिद्व निवासी खेडला तसहील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. भादरराम पुत्र स्व. श्री रजीराम जाति सिद्व निवासी खेडला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 06—12—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 06—12—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला के चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 93/64 का आवंटन दिनांक 20—03—1985 को बतौर भूमिहीन किया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा किश्त पेटे राशि चालान संख्या 1053 दिनांक 18—08—1999 द्वारा राशि 6880 एवं शेष राशि 5120 कुल जमा 12000 जमा करवा दी गई। इस प्रकार वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में दिनांक 06—12—2000 को खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलांट के आवंटन खारिज किये जाने बाबत् कोई आदेश पत्रावली में अंकित नहीं है केवल मात्र सेल रजिस्टर में किश्तों के अभाव में आवंटन खारिज का नोट अंकित है। जिसके आधार पर अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जाना अंकित है। इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं हैं जिसकी रिपोर्ट संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 13—01—2013 को प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वादगत् भूमि विवाद एवं स्थगन नहीं है तथा उक्त रकबा गजट से मुक्त होने का भी नोट अंकित हैं ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—12—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 25—03—14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तो के अभाव में खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—12—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25—03—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र की जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से तहसील खाजुवाला के चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 93/64 का आवंटन दिनांक 20—03—1985 को बतौर भूमिहीन किया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा किश्त पेटे राशि चालान संख्या 1053 दिनांक 18—08—1999 द्वारा राशि 6880 एवं शेष राशि 5120 कुल जमा 12000 जमा करवा दी गई। इस प्रकार वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किये जाने का नोट सेल रजिस्टर में अंकित किया गया है। जबकि संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिर्पोट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज है तथा विवाद व स्थगन नहीं है तथा रकबा गजट से मुक्त है तथा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि जमा होने का भी नोट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज व पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 06—12—2000 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर